वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 113 /2025 *दिनांक- 26.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 26.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना कन्धरापुर: धोखाधड़ी में 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2021, आवेदक श्रीमती डाली मिश्रा (BEO बिलरियागंज) खण्ड शिक्षाधिकारी बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पता ग्राम गौसपुर (जैनापुर), पोस्ट सेखकला जनपद अम्बेडकरनगर उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि स0अ0प्रा0वि0 शोधनपट्टी रेखा सिंह द्वारा चयन/नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, प्रमाण पत्र यथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/जाति प्रमाण पत्र/बिकलांग प्रमाण पत्र/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धित प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां जांचोपरान्त झूठी/कूट रचित या अन्य कारण से त्रुटि पूर्ण पाये जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2021 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 बनाम श्रीमती रेखा सिंह पुत्री अवधेश कुमार सिंह 443 सिविल लाईन कोतवाली जनपद- आजमगढ़ स0अ0प्रा0वि0शोधनपट्टी शि0क्षे0बिलरियागंज जनपद- आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 26.03.2025 को प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत/पुरस्कार घोषित- 25000/-(पच्चीस हजार) का इनामिया अभियुक्ता रेखा सिंह पत्नी स्व0 अवनीन्द्र कुमार सिंह निवासी 443 सिविल लाइन नियर कठवा मोड़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ हाल पता- पिता स्व0 भीष्म सिंह निवासी चुरिया थाना लार जनपद देवरिया उ0प्र0 को पायलट तिराहा भँवरनाथ के पास से समय करीब 13.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

1-रेखा सिंह पत्नी स्व0 अवनीन्द्र कुमार सिंह निवासी 443 सिविल लाइन नियर कठवा मोड़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ हाल पता- निवासी चुरिया थाना लार जनपद देवरिया उ0प्र0

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 45/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 174 ए भादवि थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता व0उ0नि0 रमेश कुमार उ0नि0 श्री जावेद अख्तर थाना कन्धरापुर
2. प्रभारी स्वाट टीम नन्द कुमार तिवारी उ0नि0 मनीष पाल स्वाट टीम
3. सर्विलांस सेल क0आ0 ग्रेड B चन्द्रमा मिश्रा व दिनेश कुमार यादव सर्विलांस सेल

02.थाना – अहरौला: किशोरी को अगवाकर दुषकर्म करने व सहयोग करने में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 06.08.2024 को आवेदक थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने एक लिखित तहरीर दिया कि मेरी पुत्री उम्र 15 वर्ष है जो प्रतिदिन की भाति बस्ती भुजवल बाजार में दिनांक 01/8/24 को समय करीब 10 बजे दिन में ब्यूटी पार्लर व सिलाई सेन्टर में सिलाई सीखने के लिये गयी थी। जब वह 04 बजे शाम वापस घर नही आई तो मै भागकर अपनी पुत्री की तलाश के लिये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली के घर गया तो वह कुछ भी नही बताई बल्कि हीला- हवाली करने लगी। मैने अपनी रिश्तेदारियो में भी फोन करके पूछ-ताछ किया लेकिन जब पता नही चला तो मै अपने मोबाइल से 0816xxxxxxx पर फोन किया तो इस नम्बर पर अनिल निषाद पुत्र भीम निषाद सा0 बनकट थाना अहरौला जिला आजमगढ़ फोन उठाया और कहा कि आज ही करीब 03.53 बजे शाम को गुड़िया 8726xxxxxxx व 955xxxxxxxx से मेरे मोबाइल नं0 816xxxxxxx पर बात की थी और कुछ जानकारी लेना चाहा तो साफ मना कर दिया जब मैने अनिल के द्वारा बताये गये मोबाइल नं0 पर फोन किया तो क्रमशः किसी द्वारा बताया गया कि मै बसखारी व माहुल से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री की खास से भी जानकारी किया तो वह बोली मै नही जानती जब कि दोनो साथ साथ प्रतिदिन रहती थी मुझे व मेरे परिवार को बखूबी जानकारी है कि सन्तोष उर्फ मूसे पुत्र गोलई गौड़ सा0 बासथान थाना अहरौला जिला आजमगढ को उपरोक्त लोगो के साथ साठ गाँठ करके मेरी पुत्री (नाबालिग) को बहला फुसलाकर भगा ले गये है क्योकी उपरोक्त मूसे मेरे घर पर आया जाया करता था तथा उपरोक्त अनिल के मोबाइल पर मेरी पुत्री बात करती थी मै व मेरा परिवार इसका हमेशा विरोध करते थे, के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. संतोष उर्फ मूसे पुत्र गोलई गौड़ निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. खुशबू पुत्री कमलेश गौड़ निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. अनिल निषाद पुत्र भीम निषाद निवासी ग्राम बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 4. सुमन गुप्ता पत्नी बृजेश गुप्ता निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर तफ्तीशी उ0नि0 विश्राम गुप्ता के सुपुर्द हुयी थी। दौराने विवेचना बयान पीडिंता अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएस, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट , बयान गवाहान , अवलोकन सी0डी0आर0 रिपोर्ट व पीडिता की उम्र सम्बन्धित प्रमाणपत्र के अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियोग उपरोक्त मे धारा 70(2)/140(3)/142 बीएनएस व 5L/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी व धारा 87 बीएनएस का लोप किया गया। तथा अभियुक्त 1. गुफरान शाह उर्फ राहुल पुत्र रसीले शाह निवासी मुसेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. अमित प्रजापति पुत्र सुरेश चन्द्र प्रजापति निवासी देवलर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर 3. संजना कुमार पुत्री स्व0 राधेश्चाम निवासी धनकटा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 26.03.2025 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. गुफरान शाह उर्फ राहुल पुत्र रसीले निवासी हुसेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अमित प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति निवासी देवलर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 22 वर्ष, 3. संजना कुमारी पुत्री स्व0 राधेश्याम निवासी धनकटा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को चौराखाडा के पास समय 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना निजामाबाद: दुकान में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

1. दिनांक 25.02.25 को वादिनी मुकदमा मुन्नी देवी पत्नी स्व0 रामभरत निवासी फरिहा थाना निजामाबाद के घर में रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ कर नगद रूपये व गहने चोरी कर लिया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.03.25 को मु0अ0सं0 77/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

2. कल दिनांक 25.03.25 को अभियुक्त अतीक पुत्र मोतीन निवासी ग्राम छांऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा फूलबदन यादव पुत्र स्व0 भूनेश्वयर यादव निवासी ग्राम फरिहा असीलपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के दुकान से मोबाइल व रूपये चुरा रहा था जिसे मौक पर पकड़ लिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.03.25 मु0अ0स0 105/25 धारा 305,317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 25.03.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली की फरिहा असीलपुर सरायमीर रोड पर कुछ लोगों ने एक चोर को चोरी करते हुए मौके पर पकड़ रखा है। इस सूचना पर मौके पर पहुँचे तो किराने की दुकान के मालिक फूलबदन यादव पुत्र स्व0 मुनेश्वर यादव व वीरेन्द्र यादव पुत्र भोपाल यादव, सुरेश यादव पुत्र केदार यादव निवासीगण फरिहा असीलपुर थाना-निजामाबाद जनपद-आजमगढ़ द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया था उक्त संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/2025 धारा-305,331(4) BNS बनाम अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 305, 317(2) BNS से अवगत कराते हुए समय 16:07 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अतीक पुत्र मोतीन निवासी ग्रा0-छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी-

1-चोरी का एक अदद मोबाइल फोन Vivo कम्पनी का व 1007 रु0

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 105/25 धारा 305,317(2) BNS थाना निजामाबाद,आजमगढ़
2. मु0अ0स0 77/2025 धारा 305,331(4) BNS थाना निजामाबाद,आजमगढ़
3. मु0अ0स0 85/2024 धारा 294 IPC थाना फूलपुर, आजमगढ़

04. थाना- महराजगंजः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 22.03.2025 को वादी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि एक बाल अपचारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम एक बाल अपचारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है। बरामदगी व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 26.03.2025 उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपचारी किशोर को दिनांक 26.03.25 को समय 11.27 बजे सुबह संरक्षण पुलिस में नियमानुसार लेकर अपचारी किशोर को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

05.थाना- महराजगंजः दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 25.03.2025 को वादी श्री राममनोहर पुत्र रामसकल गुप्ता सा0 आराजी शंकरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रवि पुत्र रामानंद गुप्ता निवासी महेशपुर सनपुर थाना महराजगजं जनपद आजमगढ द्वारा आवेदक की पुत्री नेहा उम्र 20 वर्ष की जिसकी डेढ़ वर्ष पूर्व शादी हुई थी दहेज की मांग करना व विरोध करने पर हत्या करने के सम्बन्धमें थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1. रवि पुत्र रामानंद गुप्ता निवासी महेशपुर सनपुर थाना महराजगजं जनपद आजमगढ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना न क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 26.03.2025 मैं प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि पुत्र रामानंद गुप्ता निवासी महेशपुर सनपुर थाना महराजगजं जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष को महेशपुर सनपुर से समय 10.50 बजे सुबह हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

06.थाना पवई: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 20.03.2025 को वादी थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अनुराग कुमार पुत्र कुन्नुराम निवासी हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा जिसमें अनुराग के परिजन – भाई – अनूप कुमार , अवधेश कुमार , अतुल कुमार एवं उनकी दो भाभी के साथ अनुराग की मा नाम अज्ञात के भी शामिल होने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 99/2025 धारा 87/137(2) भा0न्या0सं0 बनाम 1. अनुराग 2. अनूप कुमार 3. अवधेश कुमार 4. अतुल कुमार पुत्रगण कुन्नुराम 5. दो भाभी नाम अज्ञात 6. अनुराग की मां नाम अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

आज दिनांक 26.03.25 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह द्वारा बागबहार पुलिया से समय करीब 07.25 बजे मुकदमा उपरोक्त की पीडिता की बरामदगी व अभियुक्त अनुराग कुमार पुत्र कुन्नूराम निवासी ग्राम हेवती थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष की गिरफ्तारी की गयी है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।